न्यायालय जिला कलक्टर, कोटपूतली–बहरोड (राज0)

पीठासीन अधिकारी : कल्पना अग्रवाल (आई.ए.एस.)
रसद अपील : 271/2023 (36/2022)
तारीख रजू : 22.09.2023 (02.08.2022) निर्णय दिनांक : 06.03.2024

उनवान

1. उमराव सिंह गुर्जर उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत तेवडी उपखण्ड विराटनगर जिला जयपुर नया जिला कोटपूतली–बहरोड राज0। पोश कोड 14844.

अपीलार्थी

बनाम

1. जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय, जयपुर नया जिला रसद अधिकारी कोटपूतली–बहरोड राज0। प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत खण्ड 22 (1) (क) राजस्थान खाद्यान्न एंव अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 विरूद्व आदेश/निर्णय दिनांक 25.04.2022 जिला रसद अधिकारी जयपुर नया जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।

उपस्थित :–

1. श्री जगदीश नारायण पाण्डे, अमित पाण्डे अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से ।
2. विभागीय पैरोकार रसद प्रत्यर्थी की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 06.03.2023

राजस्व विभाग राजस्थान सरकार की अधिसूचना दिनांक 05.08.2023 के अनुसार दिनाक 07.08.2023 से नवजिला कोटपूतली–बहरोड का सृजन किये जाने से उक्त अनुवानी पत्रावली न्यायायल जिला कलक्टर जयपुर से स्थानान्तरण होकर इस न्यायालय को प्राप्त होने पर पत्रावली को दिनांक 21.09.2023 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर पक्षकारान को जरिये नोटिस तलब किये गये।

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय के आदेश दिनांक 25.04.2022 जिसके द्वारा अपीलार्थी उमराव सिंह गुर्जर उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत तेवडी उपखण्ड विराटनगर जिला जयपुर नया जिला कोटपूतली–बहरोड राज0। पोश कोड 14844 को प्राधिकार पत्र की शर्तो का उल्लघंन करने का दोषी मानते हुये प्राधिकार पत्र निरस्त कर समस्त धरोहर राशि जब्त सरकार किये जाने के पारित आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील पेश की गई है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी को नोटिस जारी किया गया। तहत रिकार्ड तलब किया गया है। प्रत्यर्थी की ओर विभागीय पैरोकार रसद उपस्थित है। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड

3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।

4. अपीलार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुये दलील प्रस्तुत की कि अपीलार्थी ग्राम पंचायत तेवडी तह0 विराटनगर जयपुर नया जिला कोटपूतली–बहरोड की उचित मूल्य का दुकानदार है। जिसे जिला रसद अधिकारी द्वारा प्राधिकार पत्र सं0 92–93/03 जारी किया हुआ है तथा पोस कोड 14844 है। अपीलार्थी वर्ष 1993 से पूर्ण ईमानदारी से बिना किसी शिकायत कें आवश्यक वस्तुओं का वितरण करता आ रहा है। वक्त निरीक्षण जॉच दल को खाद्य सुरक्षा की अद्यतर ई सूची उपलब्ध करा दी थी तथा अपीलार्थी के द्वारा नियंत्रित वस्तुओं के रिकार्ड संधारण हेतु स्टॉक रजिस्टर का संधारण किया जा रहा था। आरोपो के संबंध में कोई साक्ष्य व दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है जिसके कारण अपीलार्थी पर उक्त आरोप साबित नहीं होते है। प्रवर्तन अधिकारी ने केवल प्रकरण बनाने की नियती से अपीलार्थी पर उक्त आरोप लगाये है। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को नोटिस जारी नहीं किये गये तामील भी नहीं हुई रजिस्टर्ड नोटिस की रसीद पत्रावली में मौजूद नहीं है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.04.2022 निरस्त किया जाकर अपीलार्थी को उसका प्राधिकार पत्र व प्रतिभूति राशि बहाल किये जाने के आदेश फरमावे।

5. प्रत्यर्थी की ओर से विभागीय पैरोकार रसद ने अपीलार्थी अधिवक्ता के तर्को का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत कि की डीलर श्री उमराव गुर्जर द्वारा नोटिस का बिन्दुवार जवाब नहीं दिया जाकर केवल अनर्गल, सारहीन व तथ्यहीन बातो का विवेचन किया गया है। जिसका प्रकरण से कोई संबंध नहीं है। वक्त निरीक्षण दिनांक 30.04.2021 को डीलर की उचित मूल्य दुकान की दुकान बंद पाई गई तथा जॉच स्टॉक एवं मूल्य सूची का प्रदर्शन होना नहीं पाया गया। उपभोक्ताओं द्वारा शिकायत कि गई की डीलर द्वारा पूरे अप्रेल माह दुकान नहीं खोली गई एवं दिनांक 29 व 30 अप्रेल को घर घर जाकर अंगूठे लगवाये और राशन नहीं दिया गया। अपीलार्थी ने वक्त निरीक्षण मौके पर उपस्थित होकर उचित मूल्य दुकान को खोलने, जॉच करने तथा पोश मशीन प्रस्तुत करने से इंकार किया। उक्त अनियमिताओं के क्रम में डीलर को नोटिस जारी कर वास्ते जवाब हेतु तलब किया गया लेकिन डीलर अनुपस्थित रहा और जवाब भी प्रस्तुत नहीं किया। इसलिए जवाब बन्द कर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। डीलर पर लगाये उपरोक्त समस्त आरोप उसके द्वारा किये गये गबन स्वतः सिद्ध होते है जो कि गंभीर किस्म की अनियमितता है। इस प्रकार डीलर द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) 1976 की शर्तो का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु कारण बताओ नोटिस जारी कर सनवाई का समुचित अवसर देते हुये जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित कर अपीलार्थी की समस्त धरोहर राशि जब्त सरकार करते हुये डीलर का प्राधिकार पत्र तत्काल प्रभाव से निरस्त किया गया है। जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश उचित है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज फरमाई जावे।

जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड़

उभय पक्ष की ओर से की गई बहस को गौर से सुना गया एवं उस पर मनन किया गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी का कथन है कि उसको बिना सुनवाई का अवसर दिये अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिला रसद अधिकारी की पत्रावली का अवलोकन किये जाने पर पाया गया कि अपीलार्थी के विरूद्ध कार्यवाही संस्थित किये जाने पर जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय के द्वारा अपीलार्थी को नोटिस जारी किये गये है तथा व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अंतिम नोटिस भी दिया गया है लेकिन ना तो अपीलार्थी उपस्थित हुआ और ना ही जबाब अपीलार्थी द्वारा जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। इसलिए अपीलार्थी का यह कथन मान्य नहीं है कि उसे सुनवाई एवं जबाब प्रस्तुत किये जाने का समुचित अवसर नहीं दिया गया है। अपीलार्थी के विरूद्ध शिकायत की प्रतिरक्षा में कोई ठोस दस्तावेज ना तो जिला रसद अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये गये है और ना ही दौराने बहस प्रस्तुत किये है। इसलिए प्रार्थी के तर्को को बल नहीं मिलता है। जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाते है। फलस्वरूप अपील खारिज की जाती है।

8. निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्ब कायदा मय मिसल मातहत जिला रसद अधिकारी कोटपूतली–बहरोड़ को प्रेषित हो। पत्रावली बाद तकमील फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

9. निर्णय आज दिनांक 06.03.2024 को सरे इजलास सुना गया ।

न्यायालय जिला कलक्टर कोटपूतली-बहरोड़ (राज.) सत्यमेव जयते

(कल्पना अग्रवाल)
आई ए एस
जिला कलक्टर
जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड़
कोटपूतली–बहरोड़